VISIONIAS
INSPIRING INNOVATION

केंद्रीय बजट 2022–23 का सार

परिचय

भारतीय संविधान के **अनुच्छेद 112 के अनुसार,** केंद्रीय बजट मूल रूप से सरकार की **अनुमानित प्राप्तियों और व्यय का विवरण** होता है। इसे सरकार के वार्षिक वित्तीय विवरण के रूप में भी जाना जाता है। वित्त मंत्रालय के तहत आने वाला **आर्थिक मामलों का विभाग** बजट तैयार करने के लिए जिम्मेदार नोडल निकाय है। केंद्रीय बजट को **राजस्व बजट और पूंजीगत बजट** में वर्गीकृत किया जाता है।

वित्त वर्ष 2022–23 का बजट आर्थिक संवृद्धि को गति प्रदान करने से संबंधित है। **यह अगले 25 वर्षों के 'अमृत काल' के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था को गति देने हेतु एक आधार तथा एक खाका तैयार करने का प्रयास करता है।** **'अमृत काल'** इंडिया @75 से इंडिया @100 के बीच की 25 वर्षों की अवधि को इंगित करता है।

बजट का विज़न अगले 25 वर्षों में **व्यष्टि (माइक्रो) आर्थिक स्तर पर समग्र कल्याण पर बल देते हुए समष्टि (मैक्रो) आर्थिक संवृद्धि** में मदद करना है।

अमृत काल के लक्ष्य

01

आर्थिक संवृद्धि और समग्र कल्याण पर ध्यान केंद्रित करना

02

प्रौद्योगिकी सक्षम विकास, ऊर्जा संक्रमण और जलवायु कार्रवाई को बढ़ावा देना

03

निजी निवेश को जुटाने का समर्थन करते हुए सार्वजनिक पूंजीगत निवेश के साथ निजी निवेश के एक लाभप्रद चक्र का सृजन करना

- **बजट का भाग A** बजट का मैक्रोइकोनॉमिक या समष्टि/व्यापक आर्थिक हिस्सा है। इसमें विभिन्न योजनाओं की घोषणा की जाती है और कई क्षेत्रों को निधि का आवंटन किया जाता है। इस हिस्से में सरकार की प्राथमिकताओं की भी घोषणा की जाती है।
- **बजट का भाग B** वित्त विधेयक से संबंधित है। इसमें आयकर संशोधन और अप्रत्यक्ष कर जैसे कराधान प्रस्ताव शामिल हैं।

बजट प्रक्रिया

केंद्रीय बजट प्रस्तुत

लोक सभा और राज्य सभा, दोनों में केंद्रीय बजट पर सामान्य चर्चा

सदन कुछ सप्ताहों के लिए स्थगित। स्थायी समितियां अलग–अलग मंत्रालयों की अनुदान मांगों की जांच करती हैं

लोक सभा में कुछ मंत्रालयों की अनुदान मांगों पर विस्तृत चर्चा और मतदान

शेष मंत्रालयों की अनुदान मांगों पर एक साथ मतदान किया जाता है

विनियोग और वित्त विधेयक पारित

भाग A

वित्त वर्ष 2022–2023 के लिए बजट प्रस्ताव 4 स्तंभों पर आधारित है

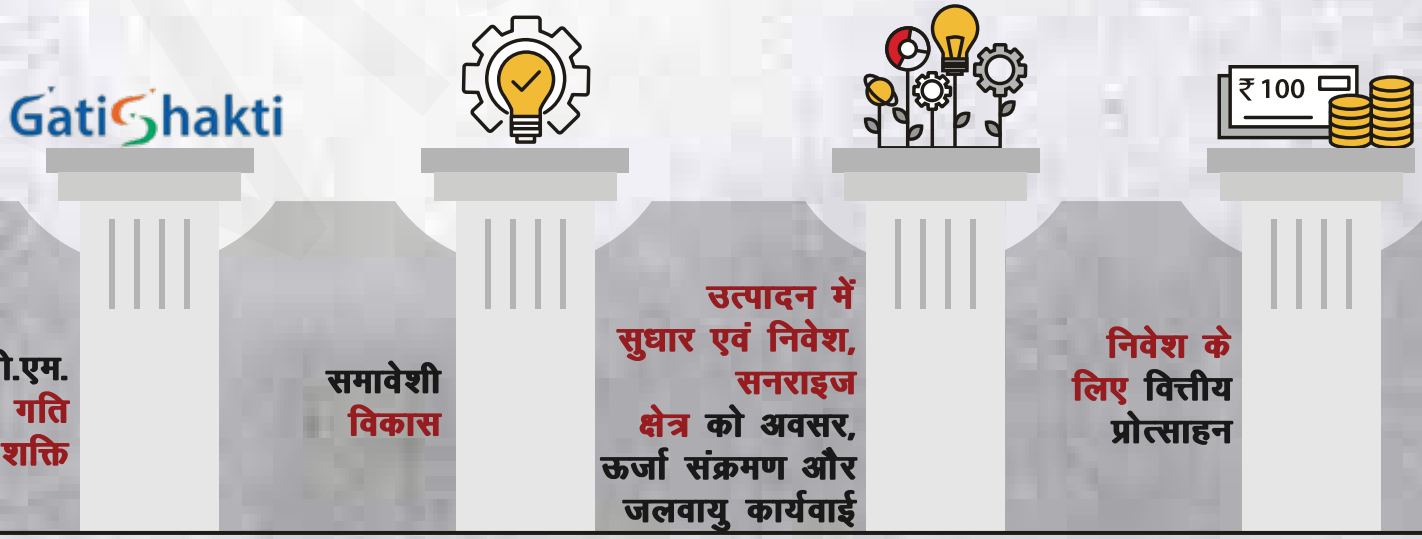

पी.एम. गति शक्ति

- पी.एम. गति शक्ति वस्तुतः आर्थिक संवृद्धि एवं सतत विकास के लिए एक परिवर्तनकारी दृष्टिकोण है। इस दृष्टिकोण को बढ़ावा देने वाले 7 कारक या क्षेत्रक **सड़क, रेलवे, हवाई अड्डों, बंदरगाहों, सार्वजनिक (जन) परिवहन, जलमार्ग और लॉजिस्टिक अवसंरचना** हैं।
  - नेशनल इन्फ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन (NIP) में इन 7 क्षेत्रकों से संबंधित परियोजनाओं को पी.एम. गति शक्ति ढांचे के साथ जोड़ा जाएगा।
- **पी.एम. गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लानः**
  - यह विश्व स्तरीय आधुनिक बुनियादी ढांचे और लॉजिस्टिक समन्वय पर लक्षित एक राष्ट्रीय मास्टर प्लान है।
    - ☑ इसमें गति शक्ति मास्टर प्लान के अनुरूप राज्य सरकारों द्वारा विकसित बुनियादी ढांचा भी शामिल होगा।
  - **क्षमता निर्माण आयोग (Capacity Building Commission: CBC)** के तकनीकी सहयोग से केंद्रीय मंत्रालयों, राज्य सरकारों और उनकी अवसंरचना से संबंधित एजेंसियों के कौशल को उन्नत किया जाएगा।
    - ☑ यह पी.एम. गति शक्ति अवसंरचना परियोजनाओं की योजना बनाने, डिजाइन, वित्तपोषण (नवोन्मेषी तरीकों सहित) और कार्यान्वयन प्रबंधन में क्षमता को बढ़ाएगा।

बुनियादी ढांचा

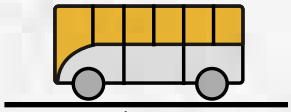

सड़क परिवहन

- एक्सप्रेसवे के लिए मास्टर प्लान तैयार करना।
- वर्ष 2022–23 में राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क में 2,500 कि.मी. का विस्तार किया जाएगा।
- सार्वजनिक संसाधनों के पूरक के रूप में वित्तपोषण के नवीन तरीकों के माध्यम से 20,000 करोड़ रुपये जुटाए जाएंगे।

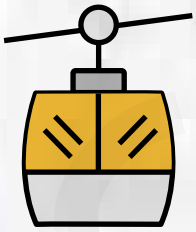

रोपवे (पर्वतमाला के तहत)

- **पर्वतमाला–राष्ट्रीय रोपवे विकास कार्यक्रम** को सार्वजनिक निजी भागीदारी (PPP) मोड पर कार्यान्वित किया जाएगा। इसका उद्देश्य दुर्गम पहाड़ी क्षेत्रों में पारंपरिक सड़कों के पारिस्थितिक रूप से सतत विकल्प के रूप में रोपवे परिवहन को अपनाना है।

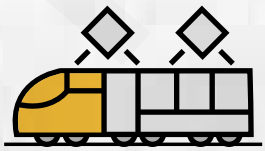

सार्वजनिक लोक शहरी परिवहन

- **सार्वजनिक लोक शहरी परिवहन (मास अर्बन ट्रांसपोर्ट) और रेलवे स्टेशनों के बीच मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी** की सुविधा प्राथमिकता के आधार पर प्रदान की जाएगी।
- नागरिक संरचनाओं सहित मेट्रो प्रणालियों की डिजाइन में सुधार किया जाएगा। साथ ही, उन्हें भारतीय अवस्थाओं एवं जरूरतों के अनुरूप मानकीकृत किया जाएगा।

रेलवे

- स्थानीय व्यवसायों और आपूर्ति श्रृंखलाओं की सहायता के लिए **'एक स्टेशन एक उत्पाद' की अवधारणा प्रस्तुत की गई है।**
- वर्ष 2002–23 में **2,000 किलोमीटर के रेलवे नेटवर्क को कवच के तहत** लाया जाएगा। कवच एक स्वदेशी तकनीक है, जो विश्व स्तरीय प्रौद्योगिकी और क्षमता में वृद्धि से संबंधित है।
- अगले तीन वर्षों के दौरान नई पीढ़ी की **400 वंदे भारत ट्रेनों का निर्माण** किया जाएगा।
- अगले तीन वर्षों के दौरान मल्टीमॉडल लॉजिस्टिक्स के लिए **100 पी.एम. गति शक्ति कार्गो टर्मिनल** का विकास किया जाएगा। पार्सल की आवाजाही के लिए निर्बाध समाधान प्रदान करने हेतु डाक और रेलवे नेटवर्क का एकीकरण किया जाएगा।

मल्टीमॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क

- वित्त वर्ष 2022–23 में PPP मोड के माध्यम से चार स्थानों पर मल्टीमॉडल लॉजिस्टिक्स पार्कों के कार्यान्वयन के लिए समझौते किए जाएंगे।

समावेशी विकास

क्षेत्रक	प्रस्ताव
कृषि 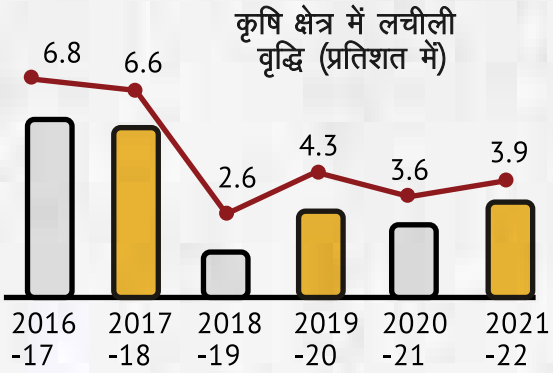	○ **खरीद में बढ़ोतरी:** गेंहू और धान की खरीद के लिए 1.63 करोड़ किसानों को 2.37 लाख करोड़ रुपये का प्रत्यक्ष भुगतान किया जायेगा। ○ **देश भर में रसायन मुक्त प्राकृतिक कृषि को बढ़ावा देना:** शुरुआत में, गंगा नदी के साथ–साथ 5 किलोमीटर चौड़े कॉरिडोर पर किसानों की भूमि पर ध्यान दिया जाएगा। ○ **नाबार्ड** कृषि और ग्रामीण उद्यम के लिए **स्टार्ट–अप्स को वित्तपोषित करने हेतु मिश्रित पूंजी** युक्त निधि को सुलभ बनाएगा। › **मिश्रित पूंजी** में विभिन्न संगठन अपने उद्देश्यों के अनुसार वित्तपोषण करते हैं। ○ फसलों के मूल्यांकन, भूमि रिकॉर्ड के डिजिटलीकरण, कीटनाशकों और अन्य रसायनों के छिड़काव के लिए **"किसान ड्रोन्स"।** ○ **मोटे अनाज:** वर्ष 2023 को **इंटरनेशनल मिलेट्स ईयर** के रूप में घोषित किया गया है। फसल **कटाई के बाद इसके मूल्य व वृद्धि, घरेलू उपभोग को बढ़ाने और मोटे अनाज के उत्पादों की राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ब्रांडिंग** के लिए सहयोग प्रदान किया जाएगा। ○ **तिलहन:** तिलहन के आयात पर देश की निर्भरता को कम करने और इसकेघरेलू उत्पादन को बढ़ाने के लिए एक तर्कसंगत एवं विस्तृत योजना का क्रियान्वयन किया जएगा। ○ **विस्तृत सेवाएं:** PPP मोड में एक योजना की शुरुआत की जाएगी। इसका उद्देश्य किसानों को डिजिटल और उच्च–तकनीकी सेवाएं प्रदान करना होगा। इसमें सार्वजनिक क्षेत्रक के अनुसंधान संस्थानों को शामिल किया जाएगा। साथ ही, इसमें निजी कृषि प्रौद्योगिकी अभिकर्ता और कृषि मूल्य श्रृंखला के हितधारकों को भी सम्मिलित किया जायेगा।
नदी जोड़ो परियोजनाएँ 	○ **केन बेतवा परियोजना:** यह 14,000 करोड़ रुपये के बजट वाली परियोजना है। यह योजना **9.08 लाख हेक्टेयर कृषि भूमि** को सिंचाई लाभ प्रदान करेगी। ○ अन्य नदी–जोड़ो परियोजनाओं को मानचित्र में दिखाया गया है।
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम **(MSME)** 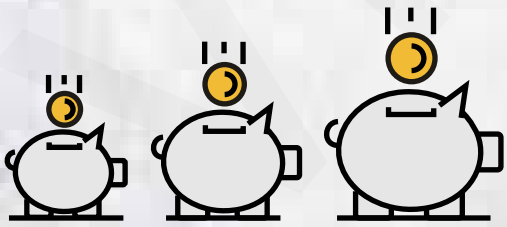	○ **उद्यम, ई–श्रम, राष्ट्रीय करियर सेवा (NCS) और असीम पोर्टल** को आपस में जोड़ कर इनकी व्यापकता को बढ़ाया जाएगा। ये अब G2C, B2C और B2B सेवाएं प्रदान करने वाले पोर्टल के रूप में कार्य करेंगे। ये लाइव व ऑर्गैनिक डेटाबेस से युक्त होंगे। ○ **आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना (ECLGS)** › 130 लाख MSMEs को ECLGS के तहत अतिरिक्त ऋण प्रदान किया गया है। इस योजना को मार्च, 2023 तक बढ़ा दिया गया है। › ECLGS के तहत गारंटी कवर में **50,000 करोड़ रुपये बढ़ाकर, कुल कवर को पाँच लाख करोड़ रुपये** तक कर दिया गया है। ○ अपेक्षित धन लगाकर **सूक्ष्म और लघु उद्यमों हेतु क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट (CGTMSE)** योजना को पुनर्जीवित किया जाएगा। › इससे सूक्ष्म और लघु उद्यमों को 2 लाख करोड़ रुपये का अतिरिक्त ऋण मिल सकेगा और रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। ○ पांच वर्षों में 6,000 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ **"रेजिंग एंड एक्सीलरेटिंग एम.एस.एम.ई. परफॉर्मेंस" (RAMP) कार्यक्रम** आरम्भ करने की घोषणा की गई है।

क्षेत्रक	प्रस्ताव
कौशल विकास	○ **डिजिटल इकोसिस्टम फॉर स्किलिंग एंड लाइवलीहुड {देश (DESH)-स्टैक ई–पोर्टल}** शुरू किया जाएगा। इस पोर्टल का उद्देश्य नागरिकों को इस प्रकार सशक्त बनाना है कि वे ऑनलाइन प्रशिक्षण के माध्यम से अपना कौशल विकास कर सकें। ○ **'ड्रोन शक्ति'** की सुविधा प्रदान करने और **ड्रोन–एज–ए–सर्विस (DrAAS)** के लिए स्टार्ट–अप्स को बढ़ावा दिया जाएगा। ○ **राष्ट्रीय कौशल योग्यता फ्रेमवर्क** को प्रगतिशील औद्योगिक आवश्यकताओं के अनुरूप ढाला जाएगा।
शिक्षा 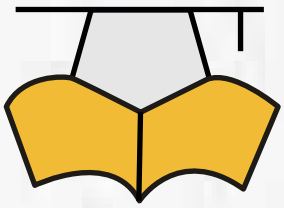	○ पी.एम.–ई विद्या के लिए **"एक कक्षा–एक टी.वी. चैनल"** कार्यक्रम का विस्तार किया जायेगा। अब इसमें 12 टी.वी. चैनलों के बजाये **200 चैनल** शामिल होंगे। ○ अत्यंत महत्वपूर्ण चिंतन कौशल को बढ़ावा देने और रचनात्मकता को स्थान देने के लिए, वर्ष 2022–23 में वर्चुअल प्रयोगशालाओं और समकालिक शिक्षण परिवेश के लिए 75 **स्किलिंग ई–लैब्स** की स्थापना की जाएगी। ○ अध्यापकों को गुणवत्तापूर्ण ई–कंटेंट तैयार करने में शिक्षण के डिजिटल उपकरणों से सशक्त किया जाएगा। ○ देशभर के विद्यार्थियों को व्यक्तिगत रूप से विश्वस्तरीय गुणवत्तापूर्ण सर्वसुलभ शिक्षा प्रदान करने हेतु एक **डिजिटल विश्वविद्यालय** स्थापित किया जाएगा। यह विभिन्न भारतीय भाषाओं और सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी (ICT) प्रारूप में उपलब्ध कराया जाएगा।
स्वास्थ्य 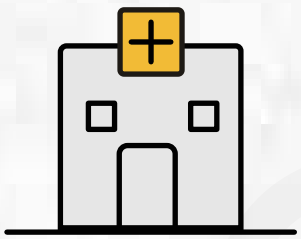	○ **आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन** के तहत, राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य परितंत्र के लिए एक नए खुले प्लेटफॉर्म का शुभारंभ किया जाएगा। › इसमें स्वास्थ्य प्रदाताओं और स्वास्थ्य सुविधाओं की डिजिटल रजिस्ट्री, विशिष्ट स्वास्थ्य पहचान व उपयुक्त फ्रेमवर्क शामिल होंगे। साथ ही, यह स्वास्थ्य सुविधाओं तक सार्वभौमिक पहुंच भी प्रदान करेगा। ○ गुणवत्तापूर्ण मानसिक स्वास्थ्य परामर्श और देखभाल सेवाओं के लिए **राष्ट्रीय टेली मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम** जारी किया जाएगा। › इसमें 23 टेली–मानसिक स्वास्थ्य उत्कृष्टता केंद्रों का एक नेटवर्क शामिल होगा। इसमें **निमहंस (NIMHANS)** नोडल केंद्र के रूप में कार्य करेगा। अंतर्राष्ट्रीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, बेंगलुरु इसके लिए तकनीकी सहायता प्रदान करेगा। ○ **समेकित संरचना:** महिलाओं और बच्चों को समेकित लाभ प्रदान करने के लिए हाल ही में तीन योजनाएं, यथा– मिशन शक्ति, मिशन वात्सल्य, सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 प्रारंभ की गयी हैं।
सर्व–समावेशी कल्याण	○ **हर घर, नल से जल:** वर्ष 2022–23 में 3.8 करोड़ घरों को शामिल किया जाएगा। ○ **प्रधान मंत्री आवास योजना:** वर्ष 2022–23 में 80 लाख मकानों का निर्माण पूरा होगा। ○ **प्रधान मंत्री–देवआइन (DevINE- पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए प्रधान मंत्री की विकास पहल):** पूर्वोत्तर की ज़रूरतों के आधार पर अवसंरचना और सामाजिक विकास को वित्तपोषित करना। ○ **आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम:** आकांक्षी शहरों के पिछड़े प्रखंडों का विकास करना। ○ **जीवंत ग्राम कार्यक्रम:** यह देश की उत्तरी सीमा पर विकास के लाभ प्राप्त करने से वंचित रह गए गांवों के विकास को लक्षित करता है। ○ **डाक कार्यालयों द्वारा डिजिटल बैंकिंग:** 100 प्रतिशत डाक–कार्यालय मुख्य बैंकिंग प्रणाली में शामिल होंगे। ○ **डिजिटल भुगतान:** अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक, **75 जिलों में 75 डिजिटल बैंकिंग** इकाइयां स्थापित करेंगे।

उत्पादन में सुधार एवं निवेश, सनराइज क्षेत्र को अवसर, ऊर्जा संक्रमण और जलवायु कार्यवाई

उत्पादन में सुधार एवं निवेश (Productivity Enhancement and Investment)

- व्यवसाय करने की सुगमता 2.0 और जीवन की सुगमता (Ease of Doing Business 2-0 & Ease of Living):
  - अगले चरण में व्यवसाय करने की सुगमता (EODB) 2.0 और जीवन की सुगमता को विश्वास आधारित अभिशासन के विचार के आधार पर शुरू किया जाएगा।
    - ☑ इसमें IT विकल्पों के माध्यम से केंद्रीय और राज्य–स्तरीय प्रणालियों के एकीकरण, सभी नागरिक–केंद्रित सेवाओं के लिए एकल बिंदु पहुंच तथा मानकीकरण पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। इसमें अनुपालन से जुड़े अतिव्यापन (ओवरलैपिंग) वाले मानदंडों को समाप्त कर दिया जाएगा।
    - ☑ 25 हजार से अधिक अनुपालनों को कम कर दिया गया है और 1,486 संघीय कानूनों को निरस्त कर दिया गया है।
- **हरित मंजूरी (Green Clearance):**
  - आवेदकों को जानकारी प्रदान करने तथा सभी प्रकार की हरित मंजूरी के लिए परिवेश (PARIVESH) पोर्टल के दायरे का विस्तार किया जाएगा।
  - नागरिकों की विदेश यात्रा को और सुविधाजनक बनाने के लिए वर्ष 2022–23 में एम्बेडेड चिप और भावी तकनीक वाले ई–पासपोर्ट शुरू किए जाएंगे।
- **शहरी नियोजन (Urban Planning):**
  - **भवन–निर्माण संबंधी उप–नियमों का आधुनिकीकरण** किया जाएगा। साथ ही, नगर नियोजन योजनाओं (TPS) और पारगमन उन्मुख विकास (Transit Oriented Development: TOD) को लागू किया जाएगा।
  - शहरी क्षेत्र की नीतियों, क्षमता निर्माण, नियोजन, कार्यान्वयन और अभिशासन से जुड़े मुद्दों पर सिफारिश करने / सुझाव देने के लिए **प्रतिष्ठित शहरी योजनाकारों, शहरी अर्थशास्त्रियों तथा संस्थानों की एक उच्च स्तरीय समिति** का गठन किया जाएगा।
  - शहरी क्षमता निर्माण के लिए राज्यों को सहायता प्रदान की जाएगी।
- शहरी क्षेत्रों में चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने के विकल्प के रूप में बैटरी स्वैपिंग (अदला–बदली) नीति को लागू किया जाएगा।
- **भू–अभिलेख प्रबंधन (Land Records Management):**
  - **भू–अभिलेखों** के सूचना प्रौद्योगिकी आधारित प्रबंधन के लिए राज्यों को **विशिष्ट भूखंड पहचान संख्या (ULPIN)** प्रणाली अपनाने हेतु प्रोत्साहित किया जाएगा।
  - एकसमान पंजीकरण प्रक्रिया के विकल्प के रूप में **"एक राष्ट्र एक पंजीकरण सॉफ्टवेयर"** के साथ–साथ **राष्ट्रीय सामान्य दस्तावेज पंजीकरण प्रणाली (NGDRS)** के अंगीकरण को बढ़ावा दिया जाएगा।
- कंपनियों की समापन प्रक्रिया को तीव्र करने हेतु **सेंटर फॉर प्रोसेसिंग एक्सीलरेटेड कॉर्पोरेट एग्जिट (C&PACE)** की स्थापना की जाएगी।
- **सरकारी खरीद (Government Procurement):**
  - **एंड–टू–एंड ऑनलाइन ई–बिल प्रणाली** शुरू की जाएगी। इसका उपयोग सभी केंद्रीय मंत्रालयों द्वारा सरकारी खरीद के लिए किया जाएगा।
  - आपूर्तिकर्ताओं और निर्माण–ठेकेदारों के लिए अप्रत्यक्ष लागत को कम करने हेतु सरकारी खरीद में बैंक गारंटी के विकल्प के रूप में **जमानती बॉण्ड** के उपयोग को स्वीकार्य बनाया जाएगा।
- **एनीमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग और कॉमिक (AVGC) क्षेत्रक की क्षमता का निर्माण करने के लिए एक टास्क फोर्स की स्थापना की जाएगी।**
- दूरसंचार क्षेत्र (Telecom Sector):
  - निजी दूरसंचार सेवा प्रदाताओं द्वारा वर्ष 2022–23 की अवधि के भीतर **5G** मोबाइल सेवाओं के संचालन को सुगम बनाने के लिए **वर्ष 2022 में आवश्यक स्पेक्ट्रम नीलामी** आयोजित की जाएगी।
  - **5G** के लिए एक मजबूत तंत्र स्थापित करने हेतु डिजाइन–आधारित विनिर्माण के लिए एक योजना शुरू की जाएगी। यह योजना उत्पादन से संबद्ध प्रोत्साहन **(PLI)** योजना का भाग होगी।
  - ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में सस्ते ब्रॉडबैंड और मोबाइल सेवा प्रसार को सक्षम किया जाएगा। इसके लिए बजट में **सार्वभौमिक सेवा दायित्व निधि** के तहत वार्षिक संग्रह की 5 प्रतिशत राशि आवंटित की जाएगी।
- **निर्यात प्रोत्साहन (Export Promotion):** राज्यों को **"उद्यम और सेवा केंद्रों के विकास"** में भागीदार बनाने हेतु विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम **(SEZ Act)** को समाप्त कर एक नया कानून लाया जाएगा।
- **रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता (AtmaNirbharta in Defence):**
  - वर्ष 2022–23 में **पूंजीगत रक्षा खरीद बजट का 68 प्रतिशत** घरेलू उद्योग के लिए निर्धारित किया जाएगा, जो वर्ष 2021–22 में 58 प्रतिशत था।
  - रक्षा अनुसंधान एवं विकास क्षेत्र को **उद्योग, स्टार्ट–अप और शिक्षा जगत के लिए खोला जाएगा।** इसके लिए रक्षा अनुसंधान एवं विकास बजट का 25 प्रतिशत निर्धारित किया गया है।
  - व्यापक परीक्षण और प्रमाणन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एक स्वतंत्र नोडल एकल निकाय स्थापित किया जाएगा।
- **दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता में संशोधन** किया जाएगा। इसका उद्देश्य समाधान प्रक्रिया के लाभों को बढ़ाना और सीमा–पार शोधन अक्षमता समाधान को सुगम बनाना है।

सनराइज क्षेत्र को अवसर (Sunrise Opportunities)

- अलग–अलग सनराइज क्षेत्रक को अवसर देने के लिए **अनुसंधान एवं विकास** हेतु सरकारी योगदान उपलब्ध कराया जाएगा। इसमें कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI), भू–स्थानिक प्रणाली और ड्रोन, सेमीकंडक्टर एवं इसका पूरा तंत्र, अंतरिक्ष आधारित अर्थव्यवस्था (स्पेस इकोनॉमी), जीनोमिक्स व फार्मास्युटिकल्स, हरित ऊर्जा तथा स्वच्छ गतिशीलता प्रणाली जैसे क्षेत्रक शामिल हैं।

ऊर्जा संक्रमण और जलवायु कार्रवाई (Energy Transition and Climate Action)

- **उच्च दक्षता वाले सौर मॉड्यूल के विनिर्माण** के लिए **उत्पादन से संबद्ध प्रोत्साहन (PLI) योजना के अंतर्गत** 19,500 करोड़ रुपये का अतिरिक्त आवंटन किया जाएगा।
- **कार्बन न्यूट्रल अर्थव्यवस्था** में रूपांतरण के लिए ताप **विद्युत संयंत्रों में 5% से 7% बायोमास पेलेट्स का सह–दहन** किया जाएगा।
  - इससे 38 मिलियन मीट्रिक टन (MMT) कार्बन डाइऑक्साइड की वार्षिक बचत होगी।
  - इससे किसानों को अतिरिक्त आय और स्थानीय लोगों को रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे। साथ ही, कृषि क्षेत्रों में पराली दहन को भी रोकने में मदद मिलेगी।
- **उद्योगों के लिए कोयला गैसीकरण और कोयले को रसायनों में बदलने** के लिए 4 पायलट परियोजनाएं स्थापित की जाएंगी।
- **चक्रीय अर्थव्यवस्था (Circular Economy)** को बढ़ावा देने के लिए विनियमों, विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व (EPR) ढांचे सहित सक्रिय सार्वजनिक नीतियों को लागू किया जाएगा।
- अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उन **किसानों को वित्तीय सहायता** प्रदान की जाएगी, जो **कृषि वानिकी** को अपनाना चाहते हैं।

PLI योजनाओं के तहत आवंटन 2022–23 का बजट अनुमान (करोड़ रु. में)

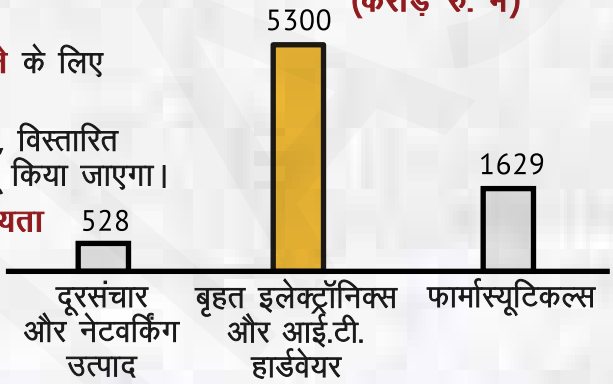

निवेश के लिए वित्तीय प्रोत्साहन (Financing of Investments)

- **सार्वजनिक पूंजीगत निवेश (Public Capital Investment)**
  - वर्ष 2022–23 में पूंजीगत व्यय का दायरा 35.4% बढ़कर 7.50 लाख करोड़ रुपये हो जायेगा। यह चालू वर्ष में 5.54 लाख करोड़ रुपये था।
    - ☑ वर्ष 2022–23 में यह सकल घरेलू उत्पाद (GDP) का 2.9% होगा।
  - केंद्र सरकार का **प्रभावी पूंजीगत व्यय** वर्ष 2022–23 में 10.68 लाख करोड़ रुपये रहने का अनुमान है, जो GDP का लगभग **4.1 प्रतिशत** है।
- **गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक–सिटी कंपनी लिमिटेड (GIFT/गिफ्ट)–अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र (GIFT&IFSC):**
  - गिफ्ट सिटी में विश्व स्तरीय विदेशी विश्वविद्यालयों और संस्थानों की स्थापना हेतु अवसर प्रदान किए जाएंगे।
  - विवादों के समय पर निपटान के लिए अंतर्राष्ट्रीय न्यायशास्त्र पर आधारित एक **अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र** की स्थापना की जाएगी।
- **राज्यों को अधिक राजकोषीय विकल्प प्रदान करना (Providing Greater Fiscal Space to States):**
  - बजट अनुमान में "पूंजीगत निवेश के लिए राज्यों को राजकोषीय सहायता योजना" हेतु परिव्यय 10,000 करोड़ रुपये था। इसे वर्तमान वर्ष के लिए संशोधित अनुमानों में 15 हजार करोड़ रुपये कर दिया गया है।
  - अर्थव्यवस्था में समग्र निवेश को प्रोत्साहित करने की दिशा में राज्यों की सहायता हेतु वर्ष 2022–23 में 1 लाख करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है। साथ ही, सामान्य ऋण के अतिरिक्त, पचास वर्ष के लिए ब्याज मुक्त ऋण प्रदान किया जाएगा।
  - राज्यों को वर्ष 2022–23 में राज्य सकल घरेलू उत्पाद (GSDP) के 4% के राजकोषीय घाटे की अनुमति होगी। इसका 0.5% विद्युत क्षेत्र में सुधार से संबंधित होगा।

पूंजीगत व्यय को प्राथमिकता

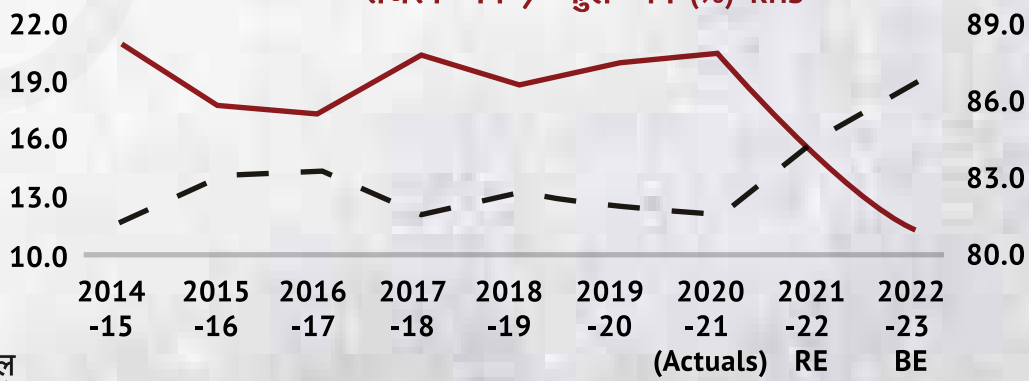

- सार्वजनिक–निजी भागीदारी (PPP) वाली योजनाओं सहित अन्य परियोजनाओं की वित्तीय व्यवहार्यता बढ़ाने हेतु उपाय किए जाएंगे। इसके लिए बहुपक्षीय एजेंसियों से तकनीकी और ज्ञान/कौशल संबंधी सहायता ली जाएगी।

उद्यम पूंजी और निजी इक्विटी ने पिछले वर्ष 5.5 लाख करोड़ रुपये से अधिक का निवेश किया था। इसके चलते स्टार्ट–अप्स के विकास के लिए एक उचित माहौल का निर्माण हो पाया है। इस निवेश को बढ़ाने के लिए और उपाय किये जा रहे हैं।

हरित बुनियादी ढांचे के लिए संसाधनों को जुटाने हेतु **सॉवरेन ग्रीन बॉण्ड** जारी किए जाएंगे।

डेटा केंद्रों और ऊर्जा भंडारण प्रणालियों को आधारभूत अवसंरचना का दर्जा प्रदान किया जाएगा।

सनराइज क्षेत्रकों जैसे कि डीप टेक, डिजिटल अर्थव्यवस्था, औषधीय और कृषि प्रौद्योगिकी आदि के लिए मिश्रित वित्तपोषण (ब्लेन्डेड फंड) को प्रोत्साहित किया जाएगा।

वर्ष 2022–23 से भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा ब्लॉकचेन और अन्य तकनीकों के प्रयोग के माध्यम से डिजिटल रुपये की शुरुआत की जाएगी।

राजकोषीय प्रबंधन (Fiscal Management):

- वर्ष 2021–22 के बजट अनुमान में प्रस्तावित 34.83 लाख करोड़ रुपये के कुल व्यय के मुकाबले, संशोधित आकलन 37.70 लाख करोड़ रुपये रहा है।
- वर्ष 2021–22 में संशोधित **राजकोषीय घाटा, सकल घरेलू उत्पाद (GDP) के 6.9%** होने का अनुमान है। हालांकि, बजट अनुमान में यह घाटा 6.8% तक होने की संभावना व्यक्त की गई थी।
- **वर्ष 2022–23 में राजकोषीय घाटा, GDP का 6.4% होने का अनुमान है।**

घाटे की प्रवृत्ति (GDP का %)

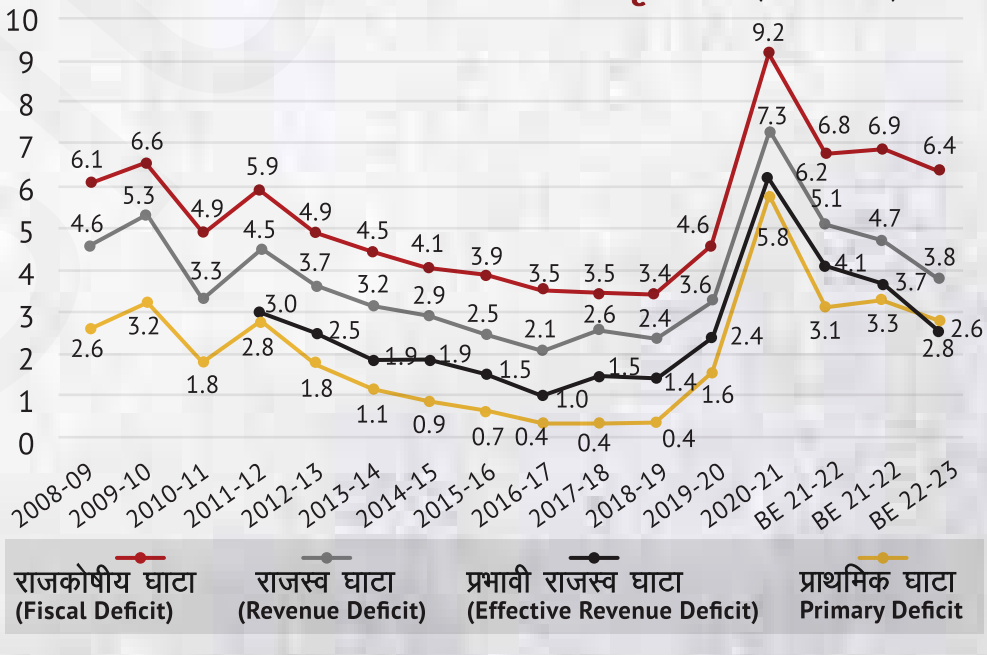

भाग B

बजट का उद्देश्य एक **विश्वसनीय कर व्यवस्था स्थापित करने के दृष्टिकोण के साथ स्थिर और पूर्वानुमानित बजट प्रणाली की नीति को विकसित** करना है। इसके अतिरिक्त, **यह कर व्यवस्था को अधिक सरल बनाएगा, करदाता के स्वैच्छिक अनुपालन को बढ़ावा देगा और मुकदमेबाज़ी को कम करेगा।**

प्रत्यक्ष कर (Direct Taxes)

कर प्रोत्साहन/राहत (Tax incentive/relief):

- **सहकारी समितियों के लिए वैकल्पिक न्यूनतम कर (Alternate Minimum Tax: AMT) दर और अधिभार (Surcharge) में कमी:** सहकारी समितियों की आय को बढ़ाने के लिए (जिनकी कुल आय 1 करोड़ रुपये से लेकर 10 करोड़ रुपये तक है) AMT को 18.5% से कम करके 15% कर दिया गया है। वहीं अधिभार भी 12% से घटाकर 7% किया गया है।
- **दिव्यांगजनों को कर राहत:** दिव्यांग आश्रितों को उनके माता–पिता/ अभिभावकों (जिनकी आयु 60 वर्ष या उससे अधिक है) के जीवनकाल के दौरान बीमा योजनाओं से वार्षिकी और एकमुश्त राशि की अदायगी की अनुमति प्रदान की गई है।
- **राष्ट्रीय पेंशन योजना (NPS) के अंशदान में समानता:** राज्य सरकार के कर्मचारियों के NPS खाते में नियोक्ता के अंशदान पर, कर कटौती सीमा को 10% से बढ़ाकर 14% करने का प्रस्ताव किया गया है। इसे केंद्र सरकार के कर्मचारियों के ही समान कर दिया गया है।
- **स्टार्ट–अप्स के लिए प्रोत्साहन:** कर प्रोत्साहन उपलब्ध कराने के लिए पात्र स्टार्ट–अप के गठन की अवधि को एक वर्ष बढ़ाकर 31.03.2023 तक करने का प्रस्ताव किया गया है।
- **रियायती कर प्रणाली के अधीन नव गठित विनिर्माण इकाइयों के लिए प्रोत्साहन:** निर्माण या उत्पादन को शुरू करने की अंतिम तिथि को 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है। इसे 31 मार्च, 2023 से बढ़ाकर 31 मार्च, 2024 तक कर दिया गया है।

कर प्राप्तियों की प्रवृत्ति

(जी.डी.पी. का %)

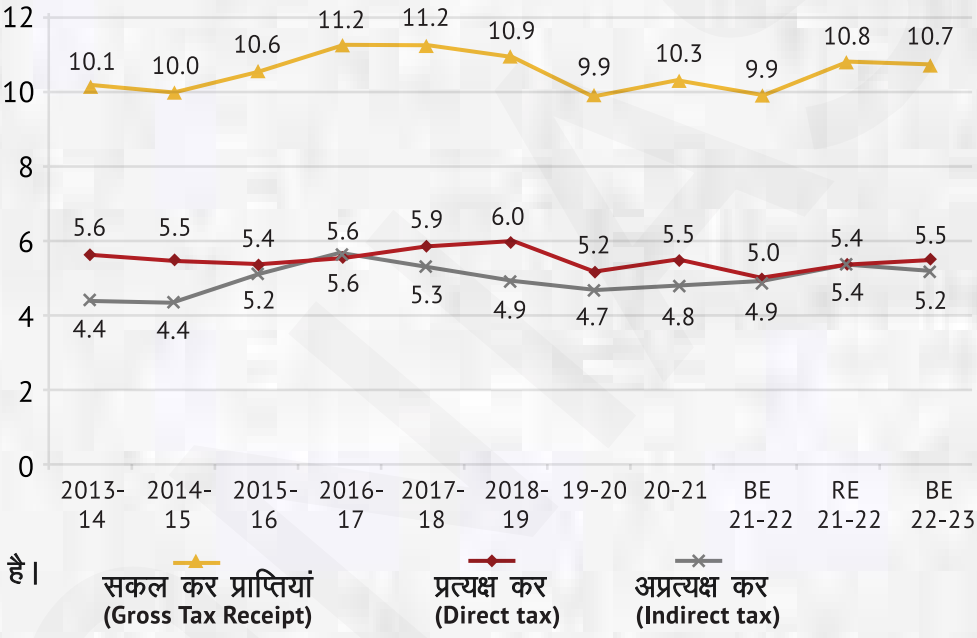

रुपये/आय के स्रोत

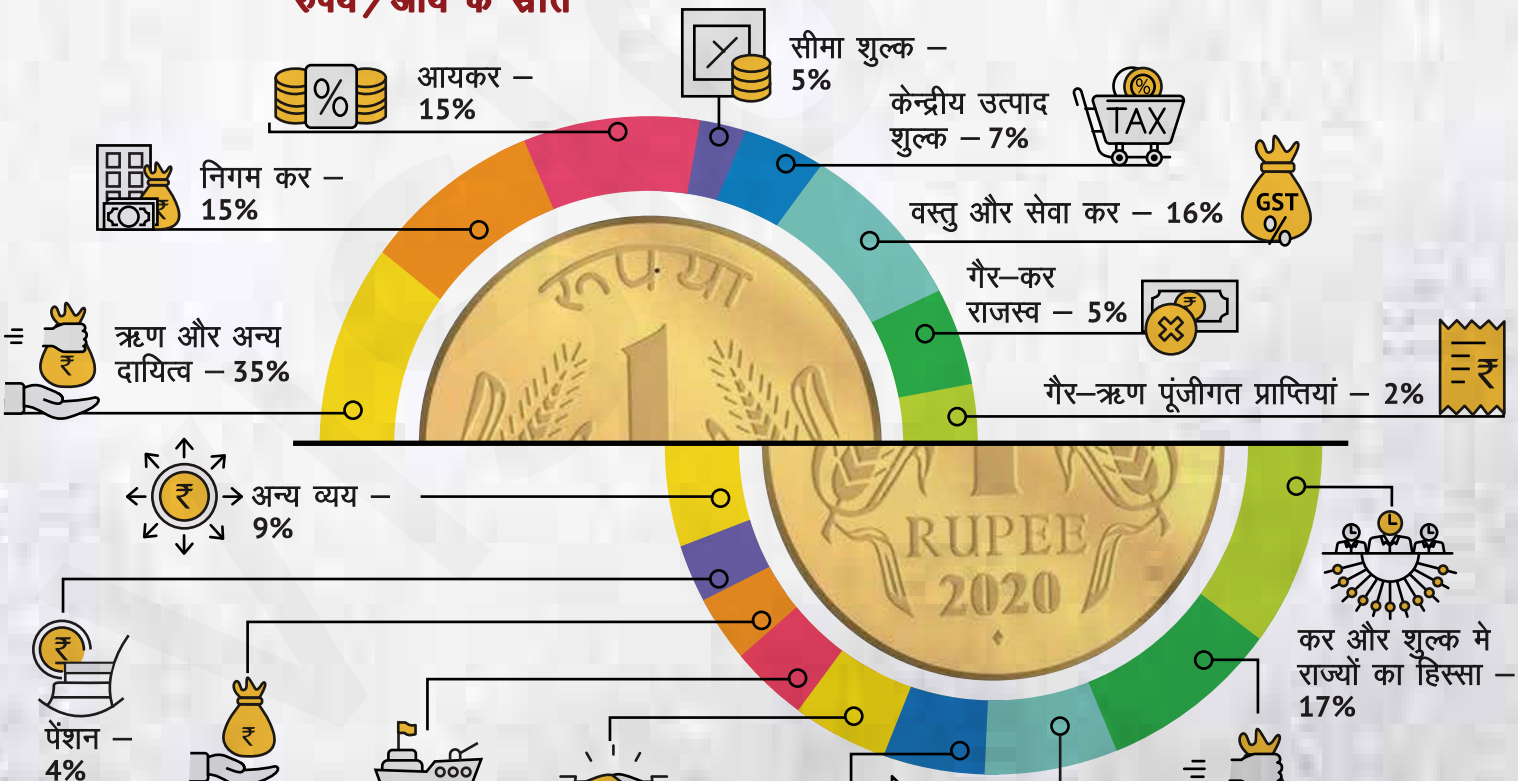

रुपये/अर्जित आय का व्यय

- **अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्रों (IFSCs) के लिए कर प्रोत्साहन:** निश्चित शर्तों के आधार पर, निम्नलिखित को कर से राहत प्रदान की गई है:
  - अपतटीय व्युत्पन्न उपकरण (offshore derivative instruments) से अनिवासियों की आय।
  - किसी अपतटीय बैंकिंग इकाई द्वारा जारी किये गए 'ओवर द काउंटर डेरिवेटिव' से होने वाली आय।
  - रॉयल्टी से आय और किसी जहाज़ को लीज़/पट्टे पर देने से प्राप्त होने वाले ब्याज से आय।
  - IFSC में पोर्टफोलियो प्रबंधन सेवाओं से मिलने वाली आय।

- **वर्चुअल डिजिटल परिसंपत्ति पर कराधान हेतु योजना (Scheme for taxation of virtual digital assets):**
  - किसी भी वर्चुअल डिजिटल परिसंपत्ति के हस्तांतरण से प्राप्त होने वाली आय पर **30% कर** आरोपित किया जाएगा।
  - इस प्रकार की आय की गणना करते समय अधिग्रहण लागत को छोड़कर किसी भी खर्च अथवा भत्ते के लिए कटौती नहीं होगी।
  - वर्चुअल डिजिटल परिसंपत्ति के हस्तांतरण से हुए नुकसान की भरपाई किसी अन्य आय से नहीं की जा सकती।
  - लेन–देन के विवरण के लिए वर्चुअल डिजिटल परिसंपत्ति के हस्तांतरण के संबंध में किए गए भुगतान पर एक निश्चित मौद्रिक सीमा से ऊपर की रकम के लिए **1 प्रतिशत की दर से टी.डी.एस. (स्रोत पर कर कटौती)** देय होगा।
  - वर्चुअल डिजिटल परिसंपत्ति के उपहार पर भी प्राप्तकर्ता को कर का भुगतान करना होगा।

- **अधिभार और उपकर (Surcharge and cess):**
  - **अधिभार का युक्तिकरण:**
    - **एसोसिएशन ऑफ़ पर्सन्स (AOPs) पर अधिभार:** व्यक्तिगत कंपनियों और AOPs (किसी कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करने हेतु गठित एक संघ) के बीच अधिभार अंतराल/विषमता को कम करने के लिए अधिभार की सीमा को 37% से कम करके 15% कर दिया गया है।
    - किसी भी प्रकार की परिसंपत्ति के हस्तांतरण पर होने वाले **दीर्घावधि पूंजीगत लाभ पर अधिभार** की अधिकतम सीमा को 37% से कम करके 15% कर दिया गया है। इससे स्टार्ट–अप्स कंपनियों को बढ़ावा मिलेगा।
  - **स्वास्थ्य और शिक्षा उपकर:** आय और लाभ पर आरोपित किसी भी अधिभार या उपकर को व्यावसायिक व्यय के रूप में दिखाने की अनुमति नहीं होगी।

- **मुकदमेबाजी को कम करना (Reducing litigation):**
  - **बार–बार दायर की जाने वाली याचिकाओं/अपीलों को कम करने के लिए उचित मुकदमा प्रबंधन:** यदि किसी मामले में कानून उसी तरह का हो, जिससे संबंधित कोई मामला उच्च न्यायालय अथवा सर्वोच्च न्यायालय में लंबित हो तो विभाग, अपील दायर करने की प्रक्रिया को न्यायालय द्वारा उस कानून के संबंध में निर्णय दिये जाने तक टाल देगा।
    - **अपडेटेड रिटर्न की सुविधा:** करदाता अब गलतियों में सुधार कर दो वर्षों के भीतर आयकर रिटर्न (ITR) दायर कर सकते हैं।
    - **कर चोरी की रोकथाम:** खोज/तलाशी और सर्वेक्षण कार्रवाइयों के दौरान अघोषित आय/राशि की प्राप्ति पर किसी भी प्रकार के नुकसान की भरपाई नहीं की जाएगी।

- **TDS प्रावधानों को युक्तिसंगत बनाना (Rationalizing TDS Provisions):**
  - टी.डी.एस. से जुड़े लाभ एजेंट्स को मिलेंगे, क्योंकि कारोबार को बढ़ावा देने की रणनीति के चलते एजेंट्स को प्राप्त आय ही कर योग्य होती है।
  - हित लाभ देने वाले व्यक्ति के लिए कर में राहत या कटौती प्रदान की जाएगी, बशर्ते वित्त वर्ष के दौरान ऐसे हित लाभों का कुल मूल्य 20,000 रुपये से अधिक हो।

अप्रत्यक्ष कर (Indirect Taxes)

- **GST संग्रह में उल्लेखनीय वृद्धि:** कोरोना वायरस महामारी के बावजूद भी GST संग्रह में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।
- **विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZs):** SEZs का सीमा शुल्क प्रशासन पूर्ण रूप से IT से संचालित होगा। यह कस्टम्स नेशनल पोर्टल पर कार्य करेगा, जिसे 30 सितंबर, 2022 से क्रियान्वित किया जाएगा।
- **सीमा शुल्क सुधार और शुल्क दर में परिवर्तन:** सीमा शुल्क प्रक्रिया को पूर्ण रूप से फेसलेस कर दिया गया है।
- **परियोजनागत आयात और पूंजीगत वस्तुएं:** राष्ट्रीय पूंजीगत वस्तु नीति, 2016 का लक्ष्य वर्ष 2025 तक पूंजीगत वस्तुओं के उत्पादन को दोगुना करना है। इसलिए, नए प्रस्ताव इस प्रकार हैं:
  - पूंजीगत वस्तुओं और परियोजनागत आयात में रियायती दरों को धीरे–धीरे समाप्त किया जाएगा। साथ ही, 7.5% का औसत प्रशुल्क लगाया जाएगा।
  - उन उन्नत मशीनरियों के लिए कतिपय छूट बनी रहेगी, जिनका देश के भीतर विनिर्माण नहीं किया जाता है।
  - विशेषीकृत कॉस्टिंग्स, बॉल स्क्रू और लीनियर मोशन गाइड पर कुछ छूट देने का चलन शुरू किया जा रहा है, ताकि पूंजीगत वस्तुओं के घरेलू विनिर्माण को प्रोत्साहित किया जा सके।

- **सीमा शुल्क में राहत और प्रशुल्क के सरलीकरण की समीक्षा:**
  - 350 से अधिक प्रस्तावित छूट प्रविष्टियों को धीरे–धीरे हटाए जाने का प्रस्ताव किया गया है। इनमें कई कृषि उत्पाद, रसायन, वस्त्र, चिकित्सा उपकरण और दवाएं शामिल हैं, जिनके लिए पर्याप्त घरेलू क्षमता मौजूद है।
  - विशेषकर रसायन, कपड़ा और धातु जैसे क्षेत्रों के लिए सीमा शुल्क दर एवं प्रशुल्क दर संरचना सरल हो जाएगी तथा विवाद कम हो जाएगा।

क्षेत्रक विशेष प्रस्ताव (Sector Specific Proposals)

क्षेत्रक	प्रस्ताव
इलेक्ट्रॉनिक्स 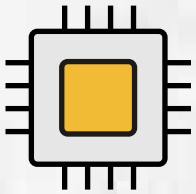	पहनने वाले उपकरणों, सुने जा सकने वाले उपकरणों और इलेक्ट्रॉनिक्स स्मार्ट मीटरों के विनिर्माण (देश में ही) को सुविधाजनक बनाने हेतु श्रेणीबद्ध दरें तय करने के लिए **सीमा शुल्क दरों में संशोधन किया जाएगा।**
रत्न और आभूषण	रत्न व आभूषण क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए तराशे एवं पॉलिश किए गए हीरों और रत्न पत्थरों पर सीमा शुल्क घटाकर 5 प्रतिशत किया जा रहा है इस वर्ष जून से एक सरलीकृत विनियामकीय ढांचे को लागू किया जाएगा।
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (MSME)	भारत में विनिर्मित किए जाने वाले कृषि क्षेत्र से जुड़े कलपुर्जों पर दी जा रही शुल्क छूट को तर्कसंगत बनाया जा रहा है। स्टील स्क्रैप के लिए सीमा शुल्क छूट का विस्तार किया गया है। स्टेनलेस स्टील और स्टील की परत वाले उत्पादों, अलॉय स्टील के घटकों व हाई स्पीड स्टील पर कुछ डंपिंग–रोधी एवं काउंटरवेलिंग शुल्क को हटाया जा रहा है।
निर्यात	झींगा जलीय कृषि के लिए आवश्यक निश्चित इनपुट्स पर शुल्क को कम किया जा रहा है।
ईंधन के सम्मिश्रण को बढ़ावा देने हेतु शुल्क संबंधी उपाय 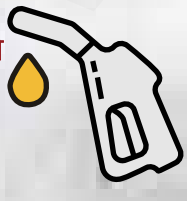	गैर–मिश्रित ईंधन पर 1 अक्टूबर, 2022 से प्रति लीटर 2 रुपये का अतिरिक्त विभेदक उत्पाद शुल्क लगेगा, ताकि ईंधन के मिश्रण को बढ़ावा दिया जा सके।

प्रयुक्त शब्दावली (Glossary)

पद/शब्द	विवरण

योजनाएं

आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना (ECLGS)

- ECLGS का उद्देश्य बैंकों, NBFCs और अन्य ऋणदाताओं को उनके द्वारा दिये जाने वाले ऋण के एवज में 100% गारंटीकृत कवरेज प्रदान करना है। इससे वे **कोविड–19 महामारी से प्रभावित और अपनी कार्यशील पूंजी की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए संघर्षरत व्यवसायों / MSMEs को आपातकालीन ऋण** प्रदान कर सकेंगे।

सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए क्रेडिट गारंटी न्यास योजना (CGTMSE)

- सूक्ष्म और लघु उद्यम क्षेत्रक को **जमानत या संपार्श्विक–मुक्त ऋण उपलब्ध** कराने के लिए इस योजना को शुरू किया गया है।

प्रधान मंत्री ई विद्या eVIDYA

- इसे छात्रों और शिक्षकों के बीच विभिन्न प्रकार की **डिजिटल / ऑनलाइन शिक्षण–शिक्षा सामग्री तक मल्टीमोड पहुँच को सुगम बनाने के लिए शुरू किया गया है।**

आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन

- इसमें **स्वास्थ्य प्रदाताओं और स्वास्थ्य सुविधाओं की डिजिटल रजिस्ट्रियां,** विशिष्ट स्वास्थ्य पहचान, सहमति ढांचा तथा स्वास्थ्य सुविधाओं तक सार्वभौमिक पहुंच शामिल होंगे।

मिशन शक्ति

- **मिशन शक्ति (महिलाओं के संरक्षण और सशक्तीकरण के लिए मिशन)** में शामिल है – संबल/**SAMBAL** (वन स्टॉप सेंटर, महिला पुलिस स्वयंसेवक, महिला हेल्पलाइन / स्वाधार / उज्ज्वला / विधवा घर आदि)

सक्षम आंगनबाड़ी और पोषण 2.0

- यह समेकित बाल विकास सेवाओं **(ICDS)** – आंगनवाड़ी सेवाएं, पोषण अभियान, किशोरियों के लिए योजना तथा राष्ट्रीय शिशु गृह योजना – को शामिल करने वाली एकल योजना है।

मिशन वात्सल्य (VATSALYA)

- **इसमें बाल संरक्षण सेवाएं और बाल कल्याण सेवाएं शामिल हैं।**

प्रधान मंत्री आवास योजना

- यह सभी के लिए **आवास की उपलब्धता को सुनिश्चित करने और उसे किफ़ायती** बनाने पर केन्द्रित है।

राष्ट्रीय पेंशन योजना (NPS)

- यह एक **स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति बचत योजना** है। यह ग्राहकों को नियोजित बचत के लिए निश्चित अंशदान करने का अवसर प्रदान करती है। यह पेंशन के रूप में सुरक्षित भविष्य को बनाए रखने में मदद करती है।
- इसे पहली बार 1 जनवरी 2004 से सेवाओं में शामिल होने वाले सभी सरकारी कर्मचारियों के लिए लागू किया गया था। बाद में मई 2009 से इसे स्वैच्छिक आधार पर सभी भारतीय नागरिकों के लिए खोल दिया गया था।

पूंजी निवेश के लिए राज्यों को वित्तीय सहायता योजना

- विगत वर्ष घोषित इस योजना के अंतर्गत **राज्य सरकारों को 50 वर्षीय ब्याज मुक्त ऋण के रूप में वित्तीय सहायता** प्रदान की गई है।

पद/शब्द	विवरण

प्रमुख पहल

उद्यम पंजीकरण:

- यह वास्तव में **उद्यमियों के लिए एक स्व–घोषणा पोर्टल है। इसके तहत उद्यमी अपने उद्यमों को केवल आधार संख्या के माध्यम से ही पंजीकृत कर सकते हैं।** इसके साथ ही, यह पोर्टल अपने–आप ही व्यापार में निवेश से संबंधित पैन और जी.एस.टी. से जुड़े विवरण को प्राप्त कर लेता है।

ई–श्रम:

- **यह आधार के साथ जुड़ा, असंगठित श्रमिकों का एक केंद्रीकृत डेटाबेस है।** ई–श्रम पोर्टल में सफलतापूर्वक पंजीकरण करने वाले श्रमिकों को ई–श्रम कार्ड जारी किया जाता है।

राष्ट्रीय करियर सेवा (NCS) पोर्टल:

- यह सूचना और संचार प्रौद्योगिकी पर आधारित एक पोर्टल है। यह युवाओं की आकांक्षाओं और संबंधित अवसरों के मध्य संपर्क प्रदान करता है। साथ ही, यह **नौकरी की तलाश कर रहे लोगों, नौकरी देने वालों, कौशल प्रदान करने वालों, करियर संबंधी परामर्श प्रदान करने वालों आदि के पंजीकरण की सुविधा भी प्रदान करता है।**

असीम (ASEEM) पोर्टल:

- आत्मानिर्भर कुशल कर्मचारी–नियोक्ता मानचित्रण (Aatmanirbhar Skilled Employee-Employer Mapping: ASEEM) एक पोर्टल है। यह **बाजार की मांग के अनुरूप कुशल कार्यबल की आपूर्ति हेतु एक मंच प्रदान करता है।** इस प्रकार यह प्रवासियों सहित युवाओं के लिए बेहतर आजीविका के अवसर और नियोक्ताओं को तैयार कुशल श्रमशक्ति की उपलब्धता की भी सुविधा प्रदान करता है।

राष्ट्रीय कौशल योग्यता फ्रेमवर्क (NSQF):

- NSQF राष्ट्रीय स्तर पर एकीकृत शिक्षा और सक्षमता–आधारित एक फ्रेमवर्क है। **यह व्यक्तियों को वांछित योग्यता का स्तर प्राप्त करने में सक्षम बनाता है।**

क्षमता निर्माण आयोग (CBC):

- भारत सरकार द्वारा इसका गठन 1 अप्रैल, 2021 को किया गया था। CBC को **भारतीय सिविल सेवा परिदृश्य में मानकीकरण और सामंजस्य स्थापित करने का कार्य सौंपा** गया है।

राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन (NIP):

- NIP वस्तुतः वित्त वर्ष 2019–2025 में बुनियादी ढांचे में निवेश के लिए एक परियोजना है। इसका उद्देश्य **नागरिकों को विश्व स्तरीय अवसंरचना प्रदान करना और उनके जीवन की गुणवत्ता में सुधार करना** है।

परिवेश (PARIVESH):

- **परिवेश (प्रो एक्टिव रिस्पॉन्सिव फैसिलिटेशन इंटरएक्टिव एंड वर्चुअस एनवायरनमेंटल सिंगल विंडो हब) एक वेब** पोर्टल है। इसके तहत केंद्र, राज्य और जिला स्तर के प्राधिकरणों से पर्यावरण, वन, वन्यजीव एवं तटीय विनियामक क्षेत्र (CRZ) से संबंधित मंजूरी की अपेक्षा वाले प्रस्तावों को ऑनलाइन जमा और उनकी निगरानी की जा सकती है।

राष्ट्रीय सामान्य दस्तावेज़ पंजीकरण प्रणाली (National Generic Document Registration System):

- यह देश भर में **पंजीकरण विभागों** के लिए विकसित एक साझा, सामान्य और आवश्यकता के अनुसार अनुकूलित करने में सक्षम एप्लीकेशन है।
- यह ग्रामीण **विकास मंत्रालय के भूमि संसाधन विभाग** द्वारा आरंभ किया गया है।

विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZ):

- ये देश में ही ऐसे क्षेत्र होते हैं, जिनका विनियमन देश के अन्य क्षेत्रों की तुलना **में अलग आर्थिक विनियमों के माध्यम से किया जाता है।**

पद/शब्द	विवरण

आर्थिक अवधारणाएं

कोफायरिंग बायोमास (Cofiring biomass):

- बायोमास को–फायरिंग के तहत उच्च दक्षता वाले कोयला बॉयलरों में **आंशिक रूप से बायोमास ईंधन के विकल्प का उपयोग किया जाता है।**
- यह एक कुशल और स्वच्छ तरीके से बायोमास से विद्युत का उत्पादन करने का तरीका है। साथ ही, यह विद्युत संयंत्रों से ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन को भी कम करता है।

चक्रीय अर्थव्यवस्था (Circular Economy):

- यह उत्पादन और उपभोग का एक मॉडल है। इसके तहत **मौजूदा वस्तुओं और उत्पादों को जब तक संभव हो साझा करना, पट्टे पर देना, पुनः उपयोग करना, मरम्मत करना, नवीनीकरण करना और पुनर्चक्रण करना** शामिल है।
- इस तरीके से **उत्पादों का जीवन चक्र बढ़ जाता है।**

पूंजीगत व्यय (Capital expenditure):

- पूंजीगत व्यय **सरकार द्वारा मशीनरी, उपकरण, भवन निर्माण,** स्वास्थ्य सुविधाओं, शिक्षा आदि **के विकास पर खर्च किए गए धन को कहते हैं।**
- इसमें सरकार द्वारा भूमि जैसी **अचल संपत्ति का अधिग्रहण करने पर किया गया खर्च** और निवेश भी शामिल होता है, जो भविष्य में लाभ या लाभांश प्रदान करता है।

प्रभावी पूंजीगत व्यय (Effective Capital Expenditure):

- इसमें राज्यों को अनुदान सहायता के माध्यम से पूंजीगत संपत्ति के निर्माण के लिए बनाए गए प्रावधान के साथ केंद्र सरकार का **पूंजीगत व्यय** भी शामिल है।

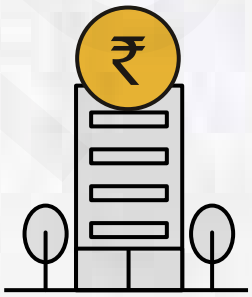

वित्तीय संस्थान और अवधारणाएं

गिफ्ट – अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र (GIFT & IFSC):

- गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक–सिटी कंपनी लिमिटेड (GIFT), **भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र (IFSC) है।**
- **IFSC घरेलू अर्थव्यवस्था के क्षेत्राधिकार के बाहर ग्राहकों को सेवाएं प्रदान करता है।** यह सीमा–पार वित्त, वित्तीय उत्पादों और सेवाओं के प्रवाह से संबंधित है।

हरित बॉण्ड (Green Bonds):

- **हरित बॉण्ड मुख्यतः** निर्धारित जलवायु–संबंधी या पर्यावरणीय परियोजनाओं का समर्थन करने के लिए डिज़ाइन किए गए एक निश्चित–आय वाले लिखत होते हैं।

मिश्रित निधि (Blended funds):

- इसे **हाइब्रिड निधि** के रूप में भी जाना जाता है। इसमें स्टॉक, बॉण्ड और स्वर्ण जैसी कई अलग–अलग श्रेणियों की परिसंपत्ति से निवेश भी शामिल होते हैं।

उद्यम पूंजी (Venture Capital):

- उद्यम पूंजी, निजी इक्विटी (अंशधारिता) के एक रूप में वित्तपोषण का एक प्रकार है। इसे निवेशक द्वारा दीर्घकालिक विकास करने की क्षमता वाली स्टार्ट–अप कंपनियों और छोटे व्यवसायों को प्रदान किया जाता है।
- उद्यम पूंजी आम तौर पर **समृद्ध निवेशकों,** निवेश बैंकों और किसी भी अन्य वित्तीय संस्थानों द्वारा प्रदान की जाती है।

आभासी डिजिटल परिसंपत्ति (Virtual Digital Asset: VDA):

- VDA कोई भी जानकारी, कोड, संख्या या टोकन (भारतीय मुद्रा या विदेशी मुद्रा नहीं) है। यह क्रिप्टोग्राफिक साधनों के माध्यम से उत्पन्न होती है। यह अंतर्निहित मूल्य के प्रतिनिधित्व या वादे के साथ तथा बिना प्रतिफल या प्रतिफल के साथ एक्सचेंज किये गए मूल्य का डिजिटल प्रतिनिधित्व प्रदान करती है। या फिर यह किसी वित्तीय लेन–देन या निवेश में इसके इस्तेमाल सहित मूल्य के भंडार या खाते की एक इकाई के रूप में कार्य करती है। लेकिन यह किसी निवेश योजना तक सीमित नहीं है। इन्हें इलेक्ट्रॉनिक रूप से स्थानांतरित, संग्रहित या इनका व्यापार किया जा सकता है।
- इनका मूल रूप से अर्थ **क्रिप्टोकरेंसी, DeFi (विकेंद्रीकृत वित्त) और नॉन फंजीबल टोकन (NFT) है।**

कराधान और शुल्क

उपकर (Cess):

- यह सरकार द्वारा किसी **निर्धारित उद्देश्य के लिए कर पर लगाया जाने वाला एक प्रकार का कर** ही है। यह तब तक लागू रहता है जब तक कि सरकार को निर्धारित उद्देश्य के लिए पर्याप्त धन नहीं मिल जाता।
- उदाहरण के लिए, सरकार द्वारा प्राथमिक, माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा के वित्तपोषण के लिए अतिरिक्त राजस्व सृजित करने हेतु **शिक्षा उपकर** लगाया जाता है।

एंटी–डंपिंग (Anti-dumping):

- यह एक संरक्षणवादी प्रशुल्क है। इसे किसी देश की सरकार द्वारा **विदेशों से आयात की जाने वाली वस्तुओं पर तब लगाया जाता है, जब उस देश को लगता है कि उस वस्तु का मूल्य उचित बाजार मूल्य से कम है।**

प्रतिकारी शुल्क या काउंटरवेलिंग ड्यूटी (Countervailing Duty: CVD)

- यह शुल्क का एक विशेष रूप है। इसे सरकार द्वारा **घरेलू उत्पादकों का संरक्षण करने हेतु आयात सब्सिडी के नकारात्मक प्रभाव को समाप्त करने के लिए लगाया जाता है।**

HEAD OFFICE Apsara Arcade, 1/8-B, 1st Floor,
Near Gate 6, Karol Bagh Metro Station
+91 8468022022, +91 9019066066

Mukherjee Nagar Centre
635, Opp. Signature View Apartments,
Banda Bahadur Marg, Mukherjee Nagar

DELHI | **JAIPUR** | **HYDERABAD** | **PUNE** | **AHMEDABAD** | **LUCKNOW** | **CHANDIGARH** | **GUWAHATI**

Copyright © by VisionIAS
All rights are reserved. No part of this document may be reproduced, stored in a retrieval system or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without prior permission of VisionIAS